

**In the Court of Vishrut Bharati, HAS, Sub Divisional Magistrate-cum-Marriage Officer
Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.)**

1. Sh. Ritik Kumar s/o Sh. Rakesh Kumar, Vill. Kutlahar, P.O. Talara, Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.).

2. Smt. Manisha d/o Sh. Vijay Singh, Vill. Bilwan, P.O. Dhiala, Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.).

Versus

General Public

Application for the registration of marriage under Section 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by Marriage Law (Amendment Act 01, 49 of 2001).

Sh. Ritik Kumar s/o Sh. Rakesh Kumar, Vill. Kutlahar, P.O. Talara, Tehsil Fatehpur, Distt. Kangra (H.P.) & Smt. Manisha d/o Sh. Vijay Singh, Vill. Bilwan, P.O. Dhiala, Tehsil Indora, Distt. Kangra (H.P.) 16 of Special Marriage Act, 1954 (Central Act) as amended by the Marriage Laws (amendment Act 01, 49 of 2001) that they have solemnized their marriage ceremony on 18-02-2026 at Radha Krishan Mandir Malikpur, Tehsil & Distt. Pathankot as per Hindu Rites and Customs and they are living together as husband and wife since then. Hence their marriage may be registered under Special Marriage Act, 1954.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objections regarding this marriage can file the objections personally in writing before this court on or before 12-06-2026. After that no objections will be entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 13-05-2026 under my hand and seal of the court.

Seal.

Sd/-
Marriage officer-cum-
Sub Divisional Magistrate,
Fatehpur Distt. Kangra (H.P.).

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, तहसील लगडू,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नं0 : 06/2023

तारीख पेशी : 23-06-2025

श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री प्रेम चंद, गांव बलाहड व डाकघर सलिहार, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) वादिया।

बनाम

1. आम जनता गांव बलाहड व डाकघर सलिहार, तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)
2. प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत सलिहार प्रतिवादी।

विषय.—हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1996 की धारा 13(3) के अन्तर्गत जन्म पंजीकरण बारे।

श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री श्री प्रेम चंद, गांव बलाहड व डाकघर सलिहार ने इस अदालत में आवेदन प्रस्तुत करके अनुरोध किया है कि उसका जन्म दिनांक 16-02-1962 को हुआ है, परन्तु इसका पंजीकरण पंचायत सलिहार में नहीं करवाया है। इसलिये उनके जन्म पंजीकरण का आदेश ग्राम पंचायत सलिहार को जारी किया जाए।

अतः इस कोर्ट नोटिस मुनादी के माध्यम से आम जनता व सभी प्रतिवादियों को सूचित किया जाता है कि किसी को भी इस जन्म पंजीकरण बारे कोई उजर/एतराज हो तो वह इस मामले की तयशुदा तारीख पेशी 13-06-2026 को समय 11.00 बजे सुबह इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर आकर प्रस्तुत करे। गैरहाजिरी की सूरत में नियमानुसार कार्यवाई अमल में लाई जावेगी तथा इस जन्म पंजीकरण के आदेश पारित कर दिए जायेंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 20-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।
मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
तहसील लगडू, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

कार्यालय नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, राजा का तालाब,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

केस नम्बर : 67 / एन.टी. / आर.के.टी.

तारीख पेशी : 16-06-2026

उनवान मुकद्दमा : तिलक राज बनाम ठाकरी आदि।

विषय :— मुश्त्री-मुनादी व चस्पानगी करवाये जाने सम्बन्धी।

नोटिस बनाम :

2. स्वर्ण कुमार पुत्र रतन चंद
4. केशव दत्त पुत्र रतन चंद
5. ओम दत्त पुत्र रतन चंद।

निवासी गांव दरभोली, डाकघर वडी, उप-तहसील राता का तालाब, तहसील फतेहपुर, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

उक्त मुकद्दमा में प्रतिवादी/प्रतिवादीगण उपरोक्त की तलबी के लिए इस अदालत द्वारा साधारण तरीके से कई बार इस अदालत में उपस्थित होने के लिए नोटिस जारी किए गये परन्तु साधारण तरीके से तामील न हो पा रही है। जिस कारण प्रतिवादी/प्रतिवादीगण की तामील न होने पर उक्त केस में अग्रिम कार्यवाही करने में विलम्ब हो रहा है। अतः इस नोटिस इश्तिहार के माध्यम से उपरोक्त प्रतिवादी/प्रतिवादीगण हितबद्ध व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि वहां वे उक्त मुकद्दमा में पैरवी हेतु दिनांक 16-06-2026 को समय 11.00 बजे सुबह असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आवे, अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में नियमानुसार हस्ब जाबता कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 19-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
नायब तहसीलदार एवं
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
राजा का तालाब, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा न0 : 814486 / 2026

किस्म मुकद्दमा—दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 09-06-2026

श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री गोरखू राम, निवासी महाल जसेहड, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल जसेहड, अलूहा व अघार, मौजा गन्धवाड, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

प्रार्थी श्री कुलदीप कुमार पुत्र श्री गोरखू राम, निवासी महाल जसेहड, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में कुलदीप कुमार दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी कुलदीप कुमार ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिप के महाल जसेहड, अलूहा व अघार में उसका नाम कुलदीप चन्द गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल जसेहड, अलूहा व अघार में दुरुस्ती करवा करके कुलदीप चन्द के बजाए कुलदीप कुमार उपनाम कुलदीप चन्द दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्त्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल जसेहड, अलूहा व अघार में दुरुस्ती करवा करके कुलदीप चन्द की बजाए कुलदीप कुमार उपा नाम कुलदीप चन्द दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 09-06-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नही सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 08-05-2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा न0 : 161 / 2026

तारीख पेशी : 27-06-2026

श्री सरोज कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, पुत्र चमारू, वासी महाल जसेहड, मौजा गन्धवाड व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

1. श्रीमती सत्या देवी विधवा मक्खन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, वासी महाल जसेहड, मौजा गन्धवाड व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

नोटिस बनाम.—1. श्रीमती सत्या देवी विधवा मक्खन सिंह पुत्र श्री अमर सिंह, वासी महाल जसेहड, मौजा गन्धवाड व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

विषय.—इन्तकाल नं0 161 वरास्त मुताबिक रजि0 बसीयतनामा महाल जसेहड, मौजा गन्धवाड के सन्दर्भ में सार्वजनिक सूचना बारे।

श्री सरोज कुमार पुत्र श्री अमर सिंह, पुत्र चमारू, वासी महाल जसेहड, मौजा गन्धवाड व तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में अपने पिता श्री अमर सिंह पुत्र चमारू राम, गांव जसेहड, डा0 सुरानी, तहसील खुण्डियां का इन्तकाल मुताबिक रजिस्ट्रड बसीयत तसदीक हेतु दावा दायर कर रखा है जिसमें उपरोक्त वर्णित प्रतिवादी की तामील बार-बार इतलाह जारी करने पर भी नहीं हो पा रही है। और न ही प्रार्थी को इनका सही पता मालूम है। प्रार्थी ने इनका सही पता प्राप्त होने बारे अपनी असमर्थता जताई है। अतः न्यायालय की संतुष्टि व विश्वास हेतु यह सिद्ध हो गया है कि उक्त प्रतिवादी की तामील साधारण ढंग से नहीं हो सकती है। अतः उक्त वर्णित प्रतिवादी को इस इश्तहार राजपत्र व मुश्री मुनादी व चस्पांगी द्वारा सूचित किया जाता है कि वह उक्त मुकद्दमा की पैरवी हेतु असालतन या वकालतन तारीख पेशी 27-06-2026 को हाजिर अदालत होकर पैरवी मुकद्दमा करें अन्यथा गैरहाजिरी की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर अगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे व बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर या एतराज स्वीकार न होगा।

यह इश्तहार मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से आज दिनांक 21-05-2026 जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा न0 : 709694 / 2026

किस्म मुकद्दमा—दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 09-06-2026

श्री ब्रहम दास पुत्र श्री किरपा, निवासी महाल चनारडी, डा0 गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)। प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल चनारडी, मौजा घटियालता, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

श्री ब्रहम दास पुत्र श्री किरपा, निवासी महाल चनारडी, डा0 गलोटी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसका नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में ब्रहम दास दर्ज है व उसका विख्यात व सही नाम भी ब्रहम दास ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त पीहडी के महाल चनारडी में उसका नाम ब्रहमू राम गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थी अब अपने नाम की राजस्व अभिलेख महाल चनारडी में दुरुस्ती करवा करके ब्रहमू राम के बजाए ब्रहम दास उपनाम ब्रहमू राम दर्ज करवाना चाहता है। अतः प्रार्थी का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थी के नाम की राजस्व अभिलेख महाल चनारडी में दुरुस्ती करवा करके ब्रहमू राम की बजाए ब्रहम दास उपनाम ब्रहमू राम दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 09-06-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता

है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 08-05-2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

मुकद्दमा न0 : 709696 / 2026

किस्म मुकद्दमा—दुरुस्ती नाम

तारीख पेशी : 18-06-2026

श्रीमती रीना देवी विधवा श्री काहनू राम, निवासी महाल कोहलडी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।
प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

प्रतिवादी।

विषय.—प्रार्थना—पत्र दुरुस्ती नाम राजस्व अभिलेख महाल कोहलडी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा हि0प्र0।

श्रीमती रीना देवी विधवा श्री काहनू राम, निवासी महाल कोहलडी, मौजा टिहरी, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने एक प्रार्थना—पत्र मय शपथ पत्र पीटासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत करते हुए अनुरोध किया है कि उसके पति का नाम पंचायत अभिलेख, आधार कार्ड व अन्य दस्तावेजों में काहनू राम दर्ज है व उसके पति का विख्यात व सही नाम भी काहनू राम ही है। परन्तु राजस्व अभिलेख पटवार वृत्त टिहरी के महाल कोहलडी में उसके पति का नाम काहनू कुमार गलत दर्ज हो गया है। अतः प्रार्थिया अब अपने पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल कोहलडी में दुरुस्ती करवा करके काहनू कुमार के बजाए काहनू राम उपनाम काहनू कुमार दर्ज करवाना चाहती है। अतः प्रार्थिया का आवेदन स्वीकार करते हुए इस मुश्री मुनादी चस्पांगी के माध्यम से आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त प्रार्थिया के पति के नाम की राजस्व अभिलेख महाल कोहलडी में दुरुस्ती करवा करके काहनू कुमार की बजाए काहनू राम उपनाम काहनू कुमार दर्ज करवाने बारे किसी किस्म की आपत्ति या उजर हो तो वह तारीख पेशी 18-06-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। अन्यथा बाद तारीख पेशी किसी किस्म का उजर एवं एतराज नहीं सुना जावेगा व नाम दुरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

यह इशतहार आज दिनांक 16-05-2026 को मोहर अदालत व मेरे हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
खुण्डियां, तहसील खुण्डियां, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री पी0 सी0 कौण्डल तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, तहसील सुलह,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा : मृत्यु पंजीकरण

तारीख पेशी : 11-06-2026

निर्मला देवी पुत्री चुहडू राम, निवासी गांव सालन, डाकघर रैपुर, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) प्रार्थिया।

बनाम

सर्वसाधारण एवं आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म/मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के अन्तर्गत करने बारा।

प्रार्थिया निर्मला देवी पुत्री चुहडू राम, निवासी गांव सालन, डाकघर रैपुर, तहसील सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र मय शपथ—पत्र, ग्राम पंचायत रैपुर द्वारा जारी प्रमाण—पत्र, परिवार रजिस्टर नकल आदि दस्तावेज प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि प्रार्थिया का जन्म गांव सालन, डा0 रैपुर में दिनांक 10-05-1956 को हुआ है। लेकिन अज्ञानतावंश ग्राम पंचायत रैपुर के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण न हुआ है। अतः ग्राम पंचायत रैपुर के पंचायत अभिलेख में जन्म पंजीकरण करने के आदेश जारी किए जाए।

अतः सर्वसाधारण को इस राजपत्र इश्तहार/मुश्री मुनादी द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रार्थिया निर्मला देवी के जन्म पंजीकरण ग्राम पंचायत रैपुर के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह 11-06-2026 को प्रातः 11.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा प्रार्थिया निर्मला देवी पुत्री चुहडू राम के जन्म पंजीकरण दिनांक 10-05-1956 के आदेश ग्राम पंचायत रैपुर के पंचायत अभिलेख में दर्ज करने हेतु आदेश जारी कर दिए जाएंगे। उसके उपरान्त कोई भी उजर व एतराज काबिले समायत न होगा व आगामी आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 12-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—
तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
सुलह, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत श्री रमन ठाकुर, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

लज्या देवी पुत्री श्री नन्द लाल, निवासी गांव व डाकघर सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना—पत्र जेर धारा 13(3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

लज्या देवी पुत्री श्री नन्द लाल, निवासी गांव व डाकघर सन्साल, तहसील बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0) ने इस अदालत में प्रार्थना—पत्र गुजारा है कि उसका जन्म दिनांक 30-11-1945 को गांव व डाकघर

सन्साल में हुआ था परन्तु इस बारे पंचायत के रिकार्ड में पंजीकरण नहीं करवाया जा सका। अतः अब पंजीकरण के आदेश दिये जायें।

अतः इस नोटिस के माध्यम से सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे में कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 23-06-2026 को सुबह 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर आकर अपना उजर/एतराज पेश कर सकता है। अन्यथा उपरोक्त जन्म/मृत्यु के पंजीकरण बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे। उसके उपरान्त किसी भी प्रकार का कोई भी उजर/एतराज न सुना जायेगा।

आज दिनांक 19-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/-
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

केस नं0 : 118/25

तारीख पेशी : 03-07-2026

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश” मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी”

Neeru Vs. Kaptan Singh & Ors

तकसीम भूमि खाता नं0 104, खतौनी नं0 133, खसरा नं0 863/542, कित्ता 1 कुल रकबा 000-51-05 है0 वाक्या महाल चैतडू, पटवार वृत्त चैतडू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0। जमाबन्दी वर्ष 2018-2019.

नोटिस बनाम :-

1. Kaptan Singh s/o Rajinder Dev, s/o Chand, 2. Joginder Singh s/o Late Amar Singh, s/o Parma, 3. Kushan Kumar s/o Late Amar Singh, s/o Parma, 4. Smt. Sayatri Devi w/o Late Amar Singh, s/o Parma, 5. Mahi Dass s/o Tiddu s/o Nihala, 6. Singo Ram *alias* Sidhu s/o Heera s/o Budhad, 7. Ranjeet Singh s/o Duni Chand s/o Budhad, 8. Maghi s/o Naurang, 9. Mehar Chand s/o Naurang, s/o Sudagar, 10. Jagroop Chand s/o Sukh Ram, s/o Lachhman, 11. Sanveer Chand s/o Sukh Ram, s/o Lachhman.

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हुई है, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबार, राजपत्र व चस्पांगी के द्वारा से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 03-07-2026 को अधोहस्ताक्षरी का अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

केस नं0 : 117 / 25

तारीख पेशी : 03-07-2026

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश” मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी”

Neeru Vs. Baldev Singh & Ors

तकसीम भूमि खाता नं0 3, खतौनी नं0 3, खसरा नं0 82, 90, 103, 105, 107, 109, 132, 138 कित्ता 8, कुल रकबा 01-37-57 है0 वाक्या महाल बाहल, पटवार वृत्त चैतडू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0। जमाबन्दी वर्ष 2022-2023.

नोटिस बनाम :-

1. Baldev Singh s/o Partap Chand s/o Salig Ram, 2. Sanjeev Singh s/o Balbir Singh, 3. Kashmir Singh s/o Balbir Singh, 4. Kumari Sapna Devi d/o Balbir Singh, 5. Shakuntala Devi w/o Balbir Singh, 6. Tulsi Ram s/o Jaswant Singh, 7. Ishwar Singh s/o Tulsi Ram, 8. Onkar Singh s/o Tulsi Ram, 9. Kashmir Singh @ Shamsher Singh s/o Tulsi Ram, 10. Pushpa Devi d/o Tulsi Ram, 11. Kanta Devi d/o Tulsi Ram, 12. Rajender Singh s/o Jagdish Chand, 13. Rakesh Kumar s/o Jagdish Chand, 14. Pitamber Singh s/o Jagdish Chand, 15. Shresthta Devi d/o Jagdish Chand, 16. Seema Devi d/o Jagdish Chand, 17. Seema Devi w/o Late Rajesh Kumar, 18. Mehtab Singh s/o Tulsi Ram, 19. Sharda Devi d/o Geeta Devi d/o Tusli Ram, 20. Rajeev Kumar s/o Kuldeep Singh, 21. Barjeaswar Singh s/o Kuldeep Singh, 22. Balbhadra Singh s/o Raghubir Singh, 23. Krishan Singh s/o Raghubir Singh, 24. Ram Singh s/o Raghubir Singh, 25. Kuldeep Singh s/o Uttam Singh, 26. Smt. Kamlesh Kumari d/o Uttam Singh, 27. Smt. Sudesh Kumari d/o Uttam Singh, 28. Surender Kumar s/o Rattan chand, 29. Suresh Kumar s/o Rattan chand, 30. Savinder Kumar Rattan chand, 31. Devender Singh s/o Rattan chand, 32. Smt. Pushpindera d/o Rattan chand, 33. Smt. Vanita d/o Rattan chand, 34. Baldev Singh s/o Haria, 35. Shashupal s/o Haria, 36. Satish Kumar s/o Haria, 37. Akshay Kumar s/o Ashwani Kumar, 38. Vishwanath Singh s/o Sukhdev Singh, 39. Tavish s/o Vishwanath Singh, 40. Sunil Kumar s/o Ami Chand, 41. Parveen Thakur s/o Ami Chand, 42. Shubnam Katoch d/o Ami Chand, 43. Sunita Rana d/o Ami Chand, 44. Anita Rana d/o Ami Chand.

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हुई है, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबार, राजपत्र व चस्पांगी के द्वारा से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 03-07-2026 को अधोहस्ताक्षरी का अदालत में असागतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

ब अदालत सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी एवं तहसीलदार, धर्मशाला,
जिला कांगड़ा (हि0प्र0)

किस्म मुकद्दमा: तकसीम

केस नं0 : 119 / 25

तारीख पेशी : 03-07-2026

“इश्तहार राजपत्र हिमाचल प्रदेश” मुस्त्री मुनादी व चस्पांगी”

Neeru Vs. Shakti Chand & Ors

तकसीम भूमि खाता नं0 13 खतौनी नं0 20, खसरा नं0 104, 272/120, 273/120 कित्ता 3, कुल रकबा 0-56-90 है0 वाक्या महाल बाहल, पटवार वृत्त चैतडू, तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा हि0प्र0। जमाबन्दी वर्ष 2022-2023.

नोटिस बनाम :-

1. Shakti Chand s/o Sidhu, 2. Kaptan Singh s/o Sidhu, 3. Ami Chand s/o Sidhu, 4. Sunil Kumar s/o Ami Chand, 5. Praveen Thakur s/o Ami Chand, S/o Sidhu, 6. Shabnam Katoch d/o Ami Chand, s/o Sidhu, 7. Sunita Rana d/o Ami Chand s/o Sidhu, 8. Anita Rana d/o Ami Chand s/o Sidhu.

उपरोक्त मुकद्दमा इस न्यायालय में विचाराधीन है इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए परन्तु साधारण तरीके से तामील न हुई है, इसलिए उपरोक्त प्रतिवादीगण को इस इश्तहार अखबार, राजपत्र व चस्पांगी के द्वारा से सूचित किया जाता है कि यदि किसी भी पक्ष को उपरोक्त वर्णित भूमि की तकसीम करने बारे कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक पेशी 03-07-2026 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपने उजर या एतराज पेश कर सकता है अन्यथा हाजिर न आने की सूरत में उपरोक्त प्रतिवादीगण के विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 05-05-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित / -
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
तहसील धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**In the Court of Assistant Collector 1st Grade and Executive Magistrate, Dharamshala,
District Kangra, Himachal Pradesh**

मुकद्दमा नं0: जन्म पंजीकरण

Mr./Mrs./Ms. Kamlesh Kumari d/o Late Sita Ram, r/o Village and Post Office Sarah,
Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.)

बनाम

आम जनता

1. The General Public.
2. The Registrar Birth & Deaths, C.M.O. Kangra at Dharamshala.
3. The Commissioner Municipal Corporation Dharamshala.
4. The Registrar, (Birth & Deaths)-cum-Panchayat Secretary Concerned G.P.

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेरे धारा 13(3) हिमाचल प्रदेश जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

Mr./Mrs./Ms. Kamlesh Kumari d/o Late Sita Ram, r/o Village and Post Office Sarah, Tehsil Dharamshala, District Kangra (H.P.) ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसका जन्म दिनांक 21-02-1977 को गांव सराह, डाकघर सराह, तहसील धर्मशाला में हुआ था, परन्तु एम0 सी0 धर्मशाला/संबंधित ग्राम पंचायत में जन्म/मृत्यु रजिस्टर में पंजीकृत न है। अतः इसे पंजीकृत किये जाने के आदेश दिये जायें। इस नोटिस इशतहार मुस्त्री मुनादी के द्वारा समस्त जनता को तथा सम्बन्धित सम्बन्धियों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को Kamlesh Kumari d/o Late Sita Ram की जन्म तिथि 21-02-1977 पंजीकृत किये जाने बारे कोई एतराज हो तो वह अपना एतराज इस अदालत में दिनांक 23-06-2026 को असालतन या वकालतन हाजिर होकर पेश कर सकता है अन्यथा मुताबिक शपथ-पत्र जन्म तिथि पंजीकृत किये जाने बारे आदेश पारित कर दिये जायेंगे।

आज दिनांक 24-04-2026 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0प्र0)।

**Before the Court of Assistant Collector 1st Grade-cum Executive Magistrate Dharamshala
Distt. Kangra (H.P.)**

Whereas, an application has been instituted before this Hon'ble Court/Authority regarding declaration of missing person namely Sh. Ramesh Kumar s/o Roshan Lal r/o Village and Post Office Khaniyara, Tehsil Dharamshala, Distt. Kangra (H.P.) who as alleged has not been seen or heard of for a period exceeding 29-30 years by those persons who would naturally have heard of him if he had been alive; as per 8.47 of the record of rights contained in chapter 8 of the land record manual.

And whereas, it has been represented that despite due diligence, inquiry and efforts made by the applicant/petitioner, the whereabouts, of the aforesaid person could not be ascertained and no communication whatsoever has been received from him/her during the aforesaid period.

Now, therefore, notice is hereby issued to the aforesaid missing person, if alive and also to the general public at large calling upon any person having any information, objection, claim or interest contrary to the averments made in the petition/application, to appear before this Hon'ble Court/Authority either personally or through duly authorized counsel and file objections, if any alongwith supporting documents/evidence within 30 days from the date of publication of this notice.

Take notice that in case no objection or information is received within the stipulated period appropriate proceedings/orders shall be passed *ex parte* in accordance with law on the basis of material available on record.

Given under my hand and seal of this Court/Authority on this 19th day of May, 2026.

Seal.

Sd/-

*Assistant Collector 1st Grade,
Dharamshala, District Kangra (H.P.).*
